

**विज्ञापन सं. एनपीसीआईएल/एचआरएम/ईटी/2018/02 के लिए परिशिष्ट**

पैरा 5 बी आयु सीमा (18.04.2018 को आयु) में निम्नलिखित श्रेणी को जोड़ा गया है :

वर्ग	अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	निम्नलिखित तारीख या उससे बाद की जन्मतिथि
पूर्व सैनिक और कमिश्नड ऑफिसर्स सहित इमर्जन्सी कमिश्नड ऑफिसर्स अथवा शॉर्ट सर्विस कमिश्नर्स (छूट- 05 वर्ष)	31	18.04.1987

विज्ञापन की अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

**Addendum to Advertisement No NPCIL/HRM/ET/2018/02**

Under Para 5 B. Age Limit (Age as on 18.04.2018) following category is added :

Category	Upper Age Limit (years)	Born on or after
Ex-servicemen and commissioned officers including Emergency Commissioned Officers or Short Service Commissioners (Relaxation – 5 years)	31	18.04.1987

All other terms and conditions of the advertisement remain unchanged.

----- X -----